

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा


क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/ 22487

दिनांक 23 मार्च, 2020

:: आदेश ::


भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVED-19) से संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 22459 दिनांक 19 मार्च 2020, 22470 दिनांक 20 मार्च 2020, 22473 दिनांक 20 मार्च 2020, 22477 दिनांक 20 मार्च 2020 एवं क्रमांक 22481 दिनांक 21 मार्च 2020 आदि से भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतः मैं राजेन्द्र भट्ट, (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा उक्त निषेधाज्ञा में नोवल कोरोना वायरस (COVED-19) के संबंध में जारी चिकित्सकीय एडवाइजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना किये जाने की शर्त पर आंशिक छूट प्रदान करते हुए भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में समस्त गोशालाओं के लिए सूखा एवं हरा चारा लाने हेतु उनके वाहनों को आवागमन की अनुमति प्रदान करता हूँ।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
03. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
08. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
11. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
15. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा।
16. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
17. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
18. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील


जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा